

नामान्तरण संबंधी (अंचल अधिकारी के न्यायालय का)

आदेश फलक

13/13-14

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक

तारीख १५/१३ से १५/१३ तक

जिला १२०१ अनुमण्डल:- बाढ़, अंचल :- बाढ़ का केस का प्रकार ११५१-४७

केवाल्य केवला रुक्षाम् एवं वर्ष २०१३-१४

आदेश की संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारीख सहित
६/५/१३	<p>श्री/ श्रीमति १५/१३ अ/१३</p> <p>पिता/ पति १५/१३ अ/१३ ग्राम २२५१९</p> <p>थाना १० जिला पटना अंचल बाढ़ जिला ने निम्नलिखित जमीन बिकी/ दानपत्र/ करभीशनामा बॉटवारा/ विनियम/ उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किया है तथा इसके नामान्तरण का आवेदन समर्पित किया है।</p> <p>अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जॉच प्रतिवेदन समर्पित करेन हेतु जिर्देशित करे।</p> <p>अभिलेख दिनांक १०/५/१३ को उपस्थापित करे।</p> <p><u>जमीन का विवरण</u></p> <p>ग्राम/ थानानं १५/१३ खाता नं ४३</p> <p>खेसरा २९ ३२८</p> <p>रकवा ३३६ १५/१३</p> <p>अंचल अधिकारी बाढ़</p> <p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी को जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अवलोकन से</p>	
१५/५/१३		

विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र/दालपत्र/वर्खीसनामा
बैलकारा/विनियम/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। अतः
नामान्तरण स्वीकृति के पूर्व आपत्ति आमंत्रण हेतु केता, विकेता एवं आम
महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 16/4/17
को उपस्थापित करें।

16/4/17
अंचल अधिकारी
बाढ़

16/4/17

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति के द्वारा
काई आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। अभिलेख दिनांक 17/4/17
को उपस्थापित करें।

17/4/17
अंचल अधिकारी
बाढ़

17/4/17

हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर^{पर}
राजस्व वसूली हित में स्वत्व प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

अंचल अधिकारी
बाढ़

17/4/17
अंचल अधिकारी
बाढ़

प्राप्ति दर्शन की विवरण दर्शाएँ। इसकी विवरण दर्शाएँ
की विवरण दर्शाएँ। इसकी विवरण दर्शाएँ।